संख्या 735 /XVII-5/2020-09(17)/2004-TC-1

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(i) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

(ii) मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।

(iii) समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

(iv) समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

(v) प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि० (उपनल), देहरादून।

सैनिक कल्याण विभाग देहरादून : दिनांक 21 अगस्त, 2020

विषय : उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि० (उपनल) के माध्यम से प्रायोजित समस्त कार्मिकों के नियत मानदेय का पुनरीक्षण।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या–323/XVII-3/13-09(17)/2004, दिनांक 12 जून, 2013 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या–500/XVII-5/2020-09(17)/2004-TC-1 दिनांक 05 मई, 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि० 'उपनल' के माध्यम से प्रायोजित समस्त कार्मिकों का नियत मानदेय एवं सेवा शर्तें निर्धारित की गई थी। इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिए गए निर्णयानुसार उपनल द्वारा प्रायोजित समस्त कार्मिकों को मानदेय (Basic Wages) तत्काल प्रभाव से निम्नवत् निर्धारित किये जाने का मुझे निदेश हुआ है:–

(धनराशि रू0 में)

क्र. सं.	मानदेय/कटौती का विवरण	अकुशल	अर्द्ध कुशल	कुशल	उच्च कुशल	अधिकारी
1	Basic Wages	8352.00	9610.00	10670.00	11870.00	35610.00
2	Gratuity 4.81% of Ser No 1	402.00	462.00	513.00	571.00	0
3	House Allowance 10% of Ser 1	835.00	961.00	1067.00	1187.00	0
4	Clothing Allowance 10% of Ser 1	835.00	961.00	1067.00	1187.00	0
5	Bonus 8.33% of Rs 7000	583.00	583.00	583.00	583.00	0
6	**Total (Ser 1 to 5)**	**11007.00**	**12577.00**	**13900.00**	**15398.00**	**35610.00**
7	EPF 13 % of Ser 1 (Employer Share)	1086.00	1249.00	1387.00	1543.00	0
8	ESIC 3.25 % of Ser 6 (Where Applicable)	358.00	409.00	452.00	500.00	0
9	***Total (Ser 6+7+8)***	**12451.00**	**14235.00**	**15739.00**	**17441.00**	**35610.00**

Statury Deductions

10	EPF 13 % of Ser 1 (Employer Share)	1086.00	1249.00	1387.00	1543.00	0
11	ESIC 3.25% of Ser 6 (Where Applicable)	358.00	409.00	452.00	500.00	0
12	EPF 12% (Employee,s Share)	1002.00	1153.00	1280.00	1424.00	0
13	ESIC 0.75 % of Ser 6 Employee,s Share (Where Applicable)	83.00	94.00	104.00	115.00	0
14	***Total Deductions(Ser 10+11+12+13)***	**2529.00**	**2905.00**	**3223.00**	**3582.00**	**0**
15	**Net in hand to Employee (Ser 9-14)**	**9922.00**	**11330.00**	**12516.00**	**13859.00**	**35610.00**
16	Leave Relief 28.98% of Ser No 9(Where applicabe)					
17	Service Charge 2.5% of Ser 9	311.00	356.00	393.00	436.00	890.00
18	**Total (Ser 9+17)**	**12762.00**	**14591.00**	**16132.00**	**17877.00**	**36500.00**
19	GST 18% of Ser 18	2297.00	2626.00	2904.00	3218.00	6570.00
20	**Total Payable by Principal Employer(Ser No 18+19)**	**15059.00**	**17217.00**	**19036.00**	**21095.00**	**43070.00**

2. 2.5 प्रतिशत सर्विस चार्ज की दर केवल उत्तराखण्ड राज्य के भीतर राज्य सरकार एवं उसके प्रतिष्ठानों / संस्थाओं / निगमों आदि के लिए ही निर्धारित की जा रही है। अन्य स्तरों (भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्रों आदि) हेतु सर्विस चार्ज की दरें पुनर्वास महानिदेशालय (DGR) भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार देय होगी।

3. सर्विस चार्ज, जी0एस0टी0, ई0एस0आई0, ई0पी0एफ0 की धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा समय--समय पर पुनरीक्षित किए जाने पर उसी तिथि एवं दरों पर तदनुसार लागू होगी।

4. उपनल के कार्मिकों को यात्रा / दैनिक भत्ता, शासन की सहमति से उपनल द्वारा निर्धारित दरों के हिसाब से देय होगा। इस पर सर्विस चार्ज देय नही होगा, लेकिन जी0एस0टी0 (जी0एस0टी0 एक्ट) के मुताबिक देय होगा।

5. उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधान के अनुसार निविदा आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है अर्थात् नियोक्ता विभाग उपनल से सीधे कार्मिक प्राप्त कर प्रायोजित कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–595/XVII-5/16-09(17)/2004, दिनांक 09 जून, 2016 व शासनादेश संख्या–685/XVII-5/16-09(17)/2004, दिनांक 05 जुलाई, 2016 एवं शासनादेश संख्या–424/XVII-5/18-06(02)/2018, दिनांक 12 अप्रैल, 2018 एवं उक्त कार्मिकों की सेवाओं के संबंध में शासनादेश संख्या–640/XVII-5/2020-09(26)/2014(TC), दिनांक 10 जुलाई, 2020 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. उपनल के कार्मिकों को साप्ताहिक अवकाश (रविवार अथवा जो भी दिन अनुमन्य हो), 03 राष्ट्रीय अवकाश (महात्मा गांधी जयन्ती, गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस) 12 दिन आकस्मिक और 15 दिन अर्जित अवकाश सवेतन लागू होंगे, उक्त अवकाश कलेण्डर वर्ष की समाप्ति पर लैप्स हो जायेंगे, किन्तु यदि कार्यालय अवकाश के दिन भी कार्य हेतु संचालित रहता है तथा अन्य कार्मिक भी सेवा हेतु उपस्थित रहते हैं तो उपनल के कार्मिक भी कार्य हेतु अपनी उपलब्धता सुनिश्चित करेंगें।

7. उक्तानुसार उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) द्वारा उपनल के माध्यम से प्रायोजित समस्त कार्मिकों को मुख्य नियोक्ता द्वारा देय पुनरीक्षित मानदेय के संबंध में मुख्य नियोक्ता एवं शासन को अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

8. इस संबंध में पूर्व में जारी शासनादेश संख्या–500/XVII-5/2018-09(17)/2004(TC-1), दिनांक 10 मई, 2018 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

9. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–499/XXVII(7)/2020, दिनांक 20 अगस्त, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या —— (1)/XVII-5/2020-09(17)2004-TC-1 : तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ले0 एवं ह0), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. गोपन (मंत्रिपरिषद्) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त वरिष्ट कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव।